२७/02/२3 बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक ३1/3/२3 को पेश हो Kamal

२1/03/23 बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 17/04/23 को पेश हो

17/4/२3 वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 08/05/२3 को पेश हो।

8/5/23 वादी अधिवक्ता उपस्थित श्री मान PO साहब MRC कैम्प मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 25/5/23 को पेश हो

२५/5/२3 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान २०२३ ग्रा. प. 61F मे पेश हुई। प्रार्थी वादी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 196/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेंदर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 46, गली नम्बर 1 वार्ड नम्बर 2 भरतनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 07.11.2022

उपस्थित: **1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- **दिनांक :24.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 के मुरब्बा नम्बर 21, 54/32 की कुल 1.296 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी को उक्त भूमि अपने पिता अर्जन सिंह से जरिए बंटवारानामा डिक्री से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादी का नाम सविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह दर्ज है। वादी को गांव में सुरेंदर सिंह एंव सविन्द्र सिंह दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। उक्त वर्णित भूमि में खातेदारान के नाम में भिन्नता होने के कारण पक्षकारान को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान उक्त नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में कृषि ऋण पर अनुदान प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन हो जाने के कारण जमाबंदी में अंकित नाम व दस्तावेजो में अंकित नाम का मिलान नही होने के कारण काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण भी पक्षकारान उक्त नाम संशोधित करवाने के अधिकारी है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 के मुरब्बा नम्बर 21, 54/32 की कुल 1.296 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में सविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेंदर सिंह पुत्र अर्जन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को [illegible] तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1842 दिनांक 05.05.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी को सविन्द्र सिंह व सुरेंदर सिंह दोनों नामों से जाना जाता है। दोनों ही नाम वादी के है एंव गांव में उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 15 ओ के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 में अंकित नाम सविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेंदर सिंह पुत्र अर्जन सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादी को सविन्द्र सिंह व सुरेंदर सिंह दोनों नामों से जाना जाता है। दोनों ही नाम वादी के है एंव गांव में उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत 15 ओ के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 ओ को उक्त नामों से पुकारा व पहचाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 15 ओ के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 में अंकित नाम सविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेंदर सिंह पुत्र अर्जन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 196/2022

निर्णय दिनांक :- 24.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 59/53 में अंकित नाम सविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह के स्थान पर सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेंदर सिंह पुत्र अर्जन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 24.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 24.05.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/220
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

क्रमांक :– 1842

दिनांक :– 05.05.2023

रीडर
(5)
5/5/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
श्री करणपुर

विषयः– प्र.सं. 196/2023 अनवान सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट में जांच रिपोर्ट भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक रीडर/2023/191 दिनांक 17.04.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र की पालना में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। वर्तमान चक 15 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 के खा.सं. 59/53 के मुरब्बा संख्या 21 के कि.नं. 4/2 की 0.149, कि.नं. 5 की 0.202, कि.नं. 6/1 की 0.109, कि.नं. 7 सालम, कि.नं. 8/1 की 0.127, कि.नं. 13/2 की 0.126, कि.नं. 14 सालम व मु.नं. 54/32 की 0.077 हैक्ट. गैर मुमकिन खाला कुल 1.296 हैक्ट. नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि वादी को सविन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह दोनों नामों से जाना जाता है, दोनो ही नाम वादी के ही हैं एवं गांव में उक्त नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अतः मूल रिपोर्ट पटवारी, फर्द मौका, व अन्य कागजात के श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न– उक्तानुसार

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करणपुर

146
5/5/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट हल्का पटवारी

OK
[illegible] 23/5/23

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
श्रीकरणपुर

विषय: प्रकरण संख्या 196/2023 अनवान सविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार धारा अन्तर्गत 88 आर टी ए, 136 एल आर एक्ट में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत

प्रसंग आपका पत्र क्रमांक/मु.अ./1731 दिनांक 19/5/23 की पालना में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुताबिक वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073 के खाता सं. 59/53 के मु.नं. 21 के किला नं 4/2 की 0.149 है० किला न 5 की 0.202 है०, किला न 6/1 की 0.109 है० किला न 7 सालम, किला नं. 8/1 की 0.127 है०, किला न 13/2 की 0.126 है०, किला न 14 सालम व मु.नं. 54/32 की 0.077 है० और मुश्तमील खाता कुल 1.296 है० सही भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

मुताबिक पहचान वादी को गांव में सविन्द्र सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह दोनों नामों से जाना जाता है एवं आधार कार्ड में वादी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज है। उपरोक्त दोनों ही नामों से गांव में वादी को जाना व पहचाना जाता है। दोनों ही नाम वादी के हैं। एवं गांव में उक्त नामों का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादी अब वर्तमान जमाबंदी में नाम सविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः नाम शुद्धि योग्य है।

मौके पर फर्द मौका तैयार किया जो साथ में संलग्न है। आगामी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा में पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

19/5/23

[illegible] पटवारी
पटवार म. 15 [illegible]

फर्द मौका

आज के रोज दिनांक 4/23 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक मु.अ./1731/19-4-23 की पालना में ग्राम चक 15 जी की चक 15 जी में मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि वादी को रविन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उक्त नामों से जाना व पहचाना जाता है।

फर्द मौका तैयार किया गया व पढ़कर सुनाया गया मौके पर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान लिये

19/5/23
धर्मेन्द्र पूनियाँ
राजस्व पटवारी
पटवार म. 15 जी

रविन्द्र सिंह S/O अर्जुन सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested